कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नागौर

क्रमांक प.1(सी)( )संस्था/विसचु/2018/4883 दिनांक 15-11-18

आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश संख्या 4553 दिनांक 08.10.2018 द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अवकाश पर प्रस्थान करने/मुख्यालय छोड़ने के निर्देश जारी किये गये थे।

अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आया है कि कई अधिकारियों द्वारा राजपत्रित अवकाश के दौरान बिना अनुमति के ही मुख्यालय से प्रस्थान कर दिया जाता है। अतः जिले के समस्त राजस्व अधिकारीगण यथा उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, समस्त जिला स्तरीय अधिकारी/कर्मचारियों तथा समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं किया जावे तथा बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ा जावे।

उक्त निर्देशों की अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(कुमार पाल गौतम)
जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) नागौर

क्रमांक सम/4884-98 दिनांक 15-11-18

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर/डीडवाना
3. उपखण्ड अधिकारी, ———————समस्त
4. सहायक कलक्टर (मु) नागौर
5. जिला स्तरीय अधिकारी———————(समस्त)
6. तहसीलदार,———————समस्त
7. ब्लॉक स्तरीय अधिकारी———————(समस्त)
8. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग नागौर को प्रेषित कर निर्देश है कि उक्त आदेश को www.nagaur.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर पालना से अवगत करावें।
9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,नागौर को प्रसार–प्रचार हेतु।
10. प्रभारी अधिकारी (चुनाव), कार्यालय हाजा
11. नायब तहसीलदार, ———————समस्त
12. अतिरिक्त निजी सचिव, जिला कलक्टर नागौर
13. निजी सहायक, अति.जिला कलक्टर, नागौर
14. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय हाजा
15. संरक्षित पत्रावली

जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) नागौर

Scanned by CamScanner